



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/सं.अ.सं. 434

दिनांक 30/12/2020

परिपत्र

प्रति,

संचालक,
समस्त सम्बद्ध अध्ययन संस्थाएँ

विषय:-संस्थाओं में शैक्षणिक गतिविधियाँ संचालित करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा समस्त शैक्षणिक संस्थानों में केवल ऑनलाईन शैक्षणिक गतिविधियाँ संचालित करने के आदेश थे।

क्रमांक 889/सी.सी./2020/अड़तीस :: उच्च शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ 16-12/2020 यू-1 (ए) (पार्ट-2) दिनांक 02/11/2020 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या- 14-8/2020 (सीपीपी-11) दिनांक 05 नवम्बर, 2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 की शैक्षणिक गतिविधियाँ भौतिक रूप से आरंभ करने के लिए मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 23/12/2020 को आदेश जारी किये गये हैं।

आदेश के अनुसार संस्थाओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संस्था में किसी भी प्रकार की सामूहिक गतिविधि संचालित न हो।

शासन के आदेश के अनुसार "स्वैच्छिक आधार पर शिक्षकों से मार्गदर्शन/प्रायोगिक कार्य हेतु - विद्यार्थी का घोषणा पत्र तथा अभिभावक की सहमति का प्रोफार्मा संलग्न किया जा रहा है जिसे प्रत्येक छात्र एवं अभिभावक से भरवाया जाना अति आवश्यक है। प्रोफार्मा जमा होने के पश्चात ही छात्र को संस्था में भौतिक रूप से प्रवेश देना सुनिश्चित करें।

संस्थाएँ यह भी सुनिश्चित करें कि छात्रों की संख्या 50 प्रतिशत से ज्यादा न हो। संस्था में आने वाले छात्रों, शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ की सतत निगरानी रखी जाये एवं कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाये।

सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं में पूर्व से संचालित ऑनलाईन कक्षाएँ भी यथावत संचालित रहेंगी। ऑनलाईन कक्षाओं एवं भौतिक कक्षाओं दोनों के संचालन हेतु समय-सारणी संस्था स्तर से जारी की जावेगी।

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश की प्रति संलग्न की जा रही है। इसका अवलोकन कर आदेशानुसार शैक्षणिक गतिविधियाँ संचालित करना सुनिश्चित करें।

M. Maheshwari

(प्रो. (डॉ.) मनीष माहेश्वरी)

निदेशक

सम्बद्ध अध्ययन संस्थाएँ

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय-462004

1/10

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 23/12/2020

क्रमांक 8 84/सी.सी./2020/अडतीस :: उच्च शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ 16-12/2020 यू-1 (ए) (पार्ट-2) दिनांक 02/11/2020 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-14-8/2020 (सीपीपी-11) दिनांक 05 नवम्बर, 2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 की शैक्षणिक गतिविधियाँ भौतिक रूप से आरम्भ करने के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं -

- समस्त कक्षाएँ निम्न समय तालिका अनुसार चरणबद्ध रूप से प्रारंभ की जायेंगी-
 - केवल प्रायोगिक कक्षाएँ : 01 जनवरी, 2021
 - केवल स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की कक्षाएँ : 10 जनवरी, 2021
 - समस्त शेष कक्षाएँ : 20 जनवरी, 2021
- दिनांक 20 जनवरी, 2021 से समस्त शेष कक्षाएँ प्रारंभ करने के पूर्व कोविड महामारी के नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर पर गठित काइसिस मनेजमेंट ग्रुप की अनुशंसा प्राप्त की जाएगी, तथा अनुशंसा होने पर ही कक्षाएँ प्रारंभ की जा सकेंगी।
- कक्षाओं का संचालन प्रतिदिन 50 प्रतिशत विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ किया जाएगा, अर्थात् विद्यार्थी एकान्तर दिवसों (alternate days) में कक्षा में उपस्थित होंगे।
- विद्यार्थी संख्या अधिक होने की स्थिति में प्रत्येक स्तर पर कोविड-19 के सुरक्षा मानकों के आधार पर पृथक-पृथक समूह (बैच) बनाकर प्रायोगिक एवं शैक्षणिक कार्य संपादित किया जाए। इस संबंध में आधोसंरचना की उपलब्धता एवं स्थानीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित संस्था प्रमुख निर्णय लेंगे।
- समस्त संकायों के लिए पूर्व से संचालित ऑनलाईन कक्षाएँ भी यथावत संचालित रहेंगी। ऑनलाइन कक्षाओं एवं भौतिक कक्षाओं दोनों के संचालन हेतु समय-सारणी संस्था स्तर से जारी की जावेगी।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति स्वैच्छिक होगी। सत्र 2020-21 में परीक्षा, छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन योजनाओं आदि के अन्तर्गत विद्यार्थियों की उपस्थिति की अनिवार्यता को विलोपित किया जाता है।
- महाविद्यालय में सभी सामूहिक गतिविधियाँ जैसे कि प्रार्थना, खेलकूद, स्वीमिंग आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी स्थिति में कोविड अनुशासन से विलग होकर विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्रित न हो, इस बात की विशेष निगरानी रखी जाये।
- छात्रावास को खोले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- पुस्तकालयों का संचालन केवल पुस्तकों के आदान-प्रदान के लिए होगा।
- छात्र-छात्राओं के घोषणा पत्र एवं माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के आधार पर उपस्थिति स्वीकार्य होगी। माता/पिता/अभिभावक द्वारा एक बार दी गई सहमति पूरे सत्र के लिए मान्य होगी।
- कुलसचिव/प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में निरीक्षण का कार्य करेंगे। इस दौरान सेनेटाइजेशन, हाईजीन, अध्ययन कक्षाओं में विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था, एस.ओ.पी. का पालन आदि के संबंध में निरीक्षण

कर पालन-प्रतिवेदन, संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक के माध्यम से प्रति सप्ताह आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

12. समस्त छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं हैण्ड वॉश की अनिवार्यता रहेगी।
13. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों का यह दायित्व होगा कि वे सेनेटाइजर एवं थर्मल स्कैनिंग की समुचित मात्रा/संख्या में व्यवस्था सुनिश्चित करें।
14. प्रदेश के विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियाँ राज्य शासन द्वारा जारी निम्न "मानक संचालन प्रक्रिया" (एस.ओ.पी.) का पालन करते हुए संचालित होंगी:-

मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.)

1. कोरोना (कोविड-19) सामान्य बचाव के उपाय (जनेरिक प्रिवेंटिव मेजर्स)

सामान्य बचाव के उपायों में ऐसे सरल सार्वजनिक स्वास्थ्य के उपाय शामिल हैं, जिनका कोविड-19 के जोखिम को कम करने के लिए पालन किया जाना है। निम्नानुसार उपायों का पालन सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय में और सभी स्थानों पर हर समय किया जाना चाहिए :-

- i. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में जहाँ तक संभव हो कम से कम 06 फीट की शारीरिक दूरी (फिजिकल डिस्टेंसिंग) का पालन किया जाना चाहिए।
- ii. फेस कवर/मास्क का उपयोग अनिवार्यतः किया जाये।
- iii. हाथ गंदे दिखाई न भी दें तब भी साबुन से बार-बार हाथों को कम से कम 40 से 60 सेकंड के लिए धोना चाहिए।
- iv. इस हेतु यदि संभव हो तो अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग (कम से कम 20 सेकंड के लिए) किया जा सकता है।
- v. श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए। इसमें खोंसते/छीकते समय टिश्यू/रुमाल/कोहनी से नाक और मुँह को कवर करना और उपयोग के बाद टिश्यू का सही ढंग से निस्तारण (डिस्पोजल) शामिल है।
- vi. सभी के द्वारा अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी तथा किसी भी बीमारी के होने पर त्वरित रिपोर्ट की जाना चाहिए।
- vii. महाविद्यालय परिसर/सार्वजनिक स्थान पर थूकना सख्त वर्जित होगा।

2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में गतिविधियों की योजना एवं निर्धारण

विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में परिसर के फिर से खुलने तथा शिक्षण कार्य की प्रक्रिया के सुचारु संचालन हेतु योजना विकसित किए जाने की आवश्यकता होगी, जो कि निम्नवत है :-

- i. संस्थाओं को विभिन्न कार्यक्रमों में सभी विभागों एवं छात्रों के बैचों के लिये पूरी तरह रोस्टर के साथ चरणबद्ध तरीके से परिसर खोलने का विवरण तैयार किया जाये।
- ii. शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा छात्रों को पहचान पत्र (आई.डी.कार्ड) पहनना अनिवार्य किया जाये।
- iii. संकाय, छात्र, कर्मचारी की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए।
- iv. कक्षाओं को चरणबद्ध तरीके से चालू किए जाने के संबंध में सप्ताह में 06 दिवसीय शेड्यूल का पालन किया जाए तथा बैठने की व्यवस्था को शारीरिक दूरी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाये।
- v. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर कक्षाओं को कई समूहों (बैच) में विभाजित करते हुए कक्षाओं के दौरान शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित किया जाए।

- vi. कक्षाओं की उपलब्धता के आधार पर कक्षाओं में भाग लेने के लिये 50 प्रतिशत छात्रों को कक्षाओं के रोटेशन के आधार पर अनुमति दी जा सकती है।
- vii. परिसर में आगन्तुकों को बिल्कुल भी अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए तथा उनके प्रवेश को प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए।
- viii. शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य के लिये दिवसवार एवं समयवार निर्धारण संस्था द्वारा किया जा सकता है।
- ix. प्रयोगशाला में अधिकतम क्षमता को कम करते हुए पुनः निर्धारण किया जाये।
- x. विद्यार्थियों को स्वैच्छिक आधार पर उनके शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने महाविद्यालय जाने की अनुमति होगी। ऐसा उनके माता-पिता/ अभिभावकों की लिखित सहमति के आधार पर हो सकेगा। इस तरह से विद्यार्थियों का महाविद्यालय आना तथा उनके और शिक्षक के बीच परस्पर संवाद (इंटरैक्शन) छोटे-छोटे समूहों में पर्याप्त समय के अंतराल से स्कैटर्ड ढंग से (Scattered) आयोजित किया जाना चाहिए।

3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय आरंभ करने के पूर्व की जाने वाली आवश्यक तैयारी

3.1 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय खोलने की योजना का क्रियान्वयन

- i. केवल कन्टेनमेंट जोन के बाहर के महाविद्यालय खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा, कन्टेनमेंट जोन में निवासरत विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को महाविद्यालय में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को सलाह भी दी जाएगी कि वे कन्टेनमेंट जोन क्षेत्रों में न जायें।
- ii. संस्था में गतिविधियों को फिर से शुरू करने से पहले सभी शिक्षण/डेमोंस्ट्रेशन संबंधी कार्यक्षेत्र (कक्षाओं), ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, पी.एच.डी. कोर्स तथा स्नातकोत्तर अध्ययन जिसमें प्रयोगशालाओं, छात्रावास और अन्य सामान्य उपयोग में आने वाले क्षेत्रों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन से साफ किया जाएगा। इस सफाई के दौरान बार-बार स्पर्श की जाने वाली सतहों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- iii. महाविद्यालयों का कामकाज शुरू होने से पहले उन्हें ठीक ढंग से सैनिटाइज और भली-भाँति साफ किया जाएगा। इस हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यालयों सहित आम सार्वजनिक स्थानों के कीटाणुशोधन (डिसइंफेक्शन) के सम्बन्ध में जारी दिशानिर्देश (disinfection of common public places including offices) का पालन किया जाए, जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3850af92f8d9903e7a4e0559a98ecc857/uploads/2020/05/2020051123.pdf>
- iv. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं ली जायेगी।
- v. शिक्षक और सभी विद्यार्थी एक दूसरे से हर समय 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे। इसके अनुसार गतिविधियों और बैठने की योजना तय की जायेगी।
- vi. समुचित वेंटिलेशन हेतु अध्ययन कक्ष के खिड़की एवं दरवाजे खुले रखे जाये।
- vii. महाविद्यालय स्तर पर साबुन की व्यवस्था के साथ-साथ हाथ धोने की सुविधा सुनिश्चित की जायेगी।
- viii. महाविद्यालय परिसर के अंदर और बाहर कतार प्रबंधन (क्यू मैनेजमेंट) सुनिश्चित करने के लिए, 6 फीट के अंतर पर विशिष्ट चिन्हों को फर्श पर बनाया जा सकता है। इसी प्रकार, स्टाफ रूम, कार्यालय क्षेत्र (रिसेप्शन क्षेत्र सहित), लाइब्रेरी और अन्य स्थानों पर भी शारीरिक दूरी बनाए रखी जाएगी।

- ix. शिक्षक विद्यार्थियों का परस्पर संवाद मौसम को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कक्ष/बाहरी स्थानों का उपयोग करते हुए संचालित किया जा सकता है। ऐसा करते समय विद्यार्थियों की सुरक्षा और शारीरिक दूरी के प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जायेगा।
- x. सांस्कृतिक, खेल और ऐसी गतिविधियाँ/समारोह जिनमें समूह (भीड़) इकट्ठा हो सकती हो, प्रतिबंधित रहेंगी। किसी भी स्थिति में विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्रित न हो इस बात की विशेष निगरानी रखी जाये।
- xi. महाविद्यालय द्वारा राज्य हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आदि के नंबर को महाविद्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा जिससे किसी भी आपात स्थिति के दौरान शिक्षकों/ विद्यार्थियों/कर्मचारियों द्वारा संपर्क किया जा सके।
- xii. जिमनेजियम एवं स्विमिंग पूल (जहां भी लागू हो) बंद रहेंगे।


3.2 उपलब्धता एवं आपूर्ति प्रबंधन

- i. संस्थान के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए फेस कवर, मास्क, हैंड वॉश, तथा सैनिटाइजर का प्रबंध होना चाहिए।
- ii. थर्मल गन, अल्कोहल वाइप्स या 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल और डिस्पोजल पेपर, टॉवल, साबुन, कोविड पर सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति की जाये।
- iii. संस्थान में रोगग्रस्त व्यक्ति के ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- iv. पर्याप्त रूप से कवर किए गए कवर युक्त डस्टबिन और कचरा डिब्बे (ट्रैश कैन) की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
- v. उपयोग किये गए व्यक्तिगत सुरक्षा आइटम और सामान्य कचरे के उचित निपटान के लिए CPCB दिशानिर्देशों (https://cpcb.nic.in/uploads/Projects/Bio-Medical-Waste/Bmw-Guidelines-Covid_1.pdf) का पालन करना चाहिए।
- vi. हाउसकीपिंग और सफाई कर्मचारी को अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान के मानदंडों के बारे में सूचित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- vii. कोविड-19 से बचाव हेतु शिक्षण संस्थानों में टास्क ग्रुप का गठन किया जाए जिसमें वरिष्ठ फेकल्टी एवं स्टॉफ के सदस्य सम्मिलित हों जो प्रति सप्ताह महाविद्यालय परिसर की नियमित सेनेटाइजिंग एवं हाईजिन व्यवस्था का परीक्षण करें। साथ ही निकट के अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वयंसेवी संस्था एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ से कोविड-19 से बचाव हेतु सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

4. शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने के बाद :

4.1 संस्थान में प्रवेश स्थान (एंट्री पॉइंट) प्रवेश द्वार पर :

- i. प्रवेश करते समय भौतिक दूरी के माप दण्ड को अपनाते हुए थर्मल स्क्रीनिंग तथा हैण्ड सैनिटाइज किया जाना चाहिए।
- ii. परिसर में केवल एसिम्टोमेटिक (जिनमें कोरोना के लक्षण न हों) शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक स्टॉफ, विद्यार्थियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि किसी शिक्षक/ कर्मचारी/विद्यार्थी में कोरोना लक्षण के पाए जाते हैं, तो उसे निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में भेजा जाना चाहिए।
- iii. महाविद्यालय में कोविड-19 के बारे में निवारक उपायों संबंधी पोस्टर्स/स्टैंडीज प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।
- iv. पार्किंग स्थल, गलियारों और लिफ्ट में भौतिक दूरी मानदंडों का पालन करते हुए उचित भीड़ प्रबंधन किया जाए।
- v. आगंतुकों का प्रवेश सख्ती से विनियमित/प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।



4.2 कक्षा में शिक्षण गतिविधियों का संचालन :

- शिक्षण कक्षाओं एवं प्रयोगशाला में कुर्सियों, डेस्क, आदि के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- कक्षाओं में भौतिक दूरी के साथ पर्याप्त समय के लिए अलग-अलग स्लॉट में कक्षाओं की गतिविधियों को पूरा किया जाए।
- शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षण गतिविधियों के संचालन के दौरान वे स्वयं और विद्यार्थी मास्क पहने रहेंगे।
- शैक्षणिक कार्य हेतु नियमित कक्षा तथा ऑनलाइन कक्षा का मिश्रण होना चाहिए।
- विद्यार्थियों के बीच लेपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी, पानी की बोतल, आदि सामान को साझा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

4.3 छात्रावास :

छात्रावास आगामी आदेश तक बन्द रहेंगे।

4.4 संस्था स्तर पर विज्ञान एवं अन्य विषयों के लिए लैब इत्यादि के उपयोग संबंधी कार्यवाही:

- प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक गतिविधियों के लिए प्रत्येक कालखंड में अधिकतम विद्यार्थी संख्या नियत स्थान और शिड्यूल के आधार पर निर्धारित की जा सकती है।
- यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उपकरणों को कीटाणुरहित किया गया है, विशेष रूप से अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहों को प्रत्येक उपयोग के पहले और बाद में कीटाणुरहित किया जाना आवश्यक है।
- लैब में उपकरण पर काम करने के लिए प्रति व्यक्ति 4 वर्गमीटर का फर्श क्षेत्र सुनिश्चित करें।
- संस्था यह भी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक व्यक्ति प्रशिक्षण उपकरण का उपयोग करने से पहले और बाद में अपने हाथों को साफ करें। इस के लिए प्रयोगशाला/कार्यशाला आदि में हैंड सैनिटाइजर प्रदान किया जाना चाहिए।

4.5 संस्था परिसर में विभागाध्यक्ष कक्ष एवं सामान्य क्षेत्रों में गतिविधियाँ - (कॉमन एरिया-पुस्तकालय, कॉमन रूम, जिम/व्यायामशाला आदि) :

- उपर्युक्त स्थानों पर भी 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखी जाये।
- आम क्षेत्रों का उपयोग करने वाले व्यक्ति हर समय मास्क/फेस कवर का उपयोग करें।
- कॉमन रूम/जिम/व्यायामशाला बंद रहेंगे।
- पुस्तकालयों का संचालन पुस्तकों के आदान-प्रदान के लिए होगा।

4.6 संस्था द्वारा परिवहन

यदि महाविद्यालय द्वारा परिवहन सुविधा का प्रबंधन किया जा रहा है, तो बसों/ अन्य परिवहन वाहनों में समुचित भौतिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और बसों/अन्य परिवहन वाहनों का 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के उपयोग से सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए।

5. महाविद्यालय परिसर की स्वच्छता

- फर्श की दैनिक सफाई की जाएगी।
- शौचालयों में साबुन और अन्य सामान्य क्षेत्रों में हैंड सैनिटाइजर की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- कक्षाओं की शुरुआत से पहले और दिन के अंत में सभी क्लास रूम, प्रयोगशालाओं, लॉकर, पार्किंग क्षेत्र, अन्य सामान्य क्षेत्रों आदि की बार-बार छुई जाने वाली सतहों

(दरवाजे के नॉब, लिफ्ट-बटन, हैंड-रेल, कुर्सियों, बेच, वॉशरूम फिक्सचर, आदि) की सफाई और उनका नियमित रूप से कीटाणुशोधन (डिसइंफेक्शन) 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के उपयोग से किया जाना अनिवार्य होगा।

- iv. शिक्षण सामग्री, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, लैब के उपकरण 70% अल्कोहल वाइप्स द्वारा नियमित रूप से कीटाणुरहित किये जायेंगे।
- v. सभी पीने और हाथ धोने के स्टेशनों, वॉशरूम और शौचालय की गहरी सफाई सुनिश्चित की जाए।
- vi. संस्थान में आवासीय भवन हो तो नियमित रूप से स्वच्छता का ध्यान रखा जाए।
- vii. स्वास्थ्य सुरक्षा कारणों से विद्यार्थियों को किसी भी सफाई गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाए।

6. संस्था में जोखिम संबंधी जागरूकता का संचार

- i. संस्था छोड़ते समय और अपने खाली समय में विद्यार्थी एकत्रित न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता पैदा की जाए।
- ii. कोविड संबंधी उचित व्यवहार के बारे में विद्यार्थियों, माता-पिता, प्राध्यापकों और कर्मचारियों को ऊपर दिए गए सामान्य उपायों के प्रति जागरूक किया जाए।
- iii. यदि कोई विद्यार्थी, शिक्षक या कर्मचारी बीमार है, तो उसे महाविद्यालय नहीं आना चाहिए और इस संबंध में आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए।

7. मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श एवं मार्गदर्शन :

- i. सभी संकायों के सदस्यों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को "मनोदर्पण" नाम के वेब पेज से अवगत कराया जाना चाहिए। वेब पेज में सलाह, व्यावहारिक सुझाव, पोस्टर, वीडियो, साइको सोशल सपोर्ट, FAQ तथा ऑनलाइन प्रश्नों से अवगत कराया गया है। इसके अलावा एक राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर-8445440632 विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए स्थापित किया गया है जो उनके मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक मुद्दों को दूर करने के लिये टेली काउन्सिलिंग प्रदान करेगा।
- ii. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के वीडियो लिंक <https://www.mohfw.gov.in/on>, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाइट तथा ई-मेल के माध्यम से छात्रों और फैकल्टी के साथ, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप एवं ट्विटर आदि के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए व्यावहारिक सुझाव से अवगत कराया जाए।

8. संस्था प्रमुख की भूमिका :

- i. संस्था के प्रमुख/महाविद्यालय के प्राचार्य शासन के आदेश और निर्देशानुसार कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए SOP तैयार कर सकते हैं।
- ii. परिसर को खोलने से पूर्व एक विस्तृत योजना तैयार की जानी चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ स्वच्छता, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपायों को शामिल किया जाना चाहिए तथा उचित कियान्वयन किया जाना चाहिए जिसकी संकाय और कर्मचारियों की मदद से नियमित निगरानी की जानी चाहिए।
- iii. कोविड-19 से लड़ने में सहायता और सहायता के लिए नजदीकी अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, गैर सरकारी संगठनों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ सामंजस्य की व्यवस्था की जा सकती है।
- iv. सभी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए शैक्षणिक कैलेण्डर, शिक्षण मोड, परीक्षा मूल्यांकन आदि को पहले से अच्छी तरह से तैयार रखना चाहिए।

- v. कोविड-19 महामारी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को नियंत्रण करने के लिए एक समूह बनाया जाए। इस कार्य समूह में संकाय और कर्मचारियों, विद्यार्थी समुदायों के स्वयंसेवक, गैर सरकारी संगठन, स्वास्थ्य संगठन और सरकारी अधिकारी अथवा शिक्षक को शामिल किया जा सकता है।
- vi. शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को संस्था खोले जाने के सम्बन्ध में बनाई गई योजना, शासन द्वारा जारी किए गए निर्देश तथा SOP से अवगत कराया जाना चाहिए।

9. शिक्षक की भूमिका :

- i. शिक्षकों को संस्थागत योजनाओं और SOP प्रक्रियाओं से पूरी तरह अवगत होना चाहिए।
- ii. प्रत्येक शिक्षक द्वारा उनके द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषयों के लिए एक विस्तृत शिक्षण योजना तैयार की जानी चाहिए जिसमें समय-सारणी, कक्षा का आकार, वितरण के तरीके - असाइनमेन्ट, सैद्धान्तिक, व्यावहारिक, सतत् मूल्यांकन, सेमेस्टर मूल्यांकन आदि शामिल हों।
- iii. शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण विधियों और ई-संसाधनों की उपलब्धता के साथ खुद को अपडेट रखना चाहिए।
- iv. शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को कोविड-19 सम्बन्धी स्थिति, सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए बरती जाने वाली सावधानियाँ और कदमों से अवगत कराया जाना चाहिए।
- v. शिक्षकों को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी करनी चाहिए।

10. माता-पिता की भूमिका :

- i. माता-पिता को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बच्चे घर पर और जब भी बाहर जाए, नियमों का पालन करें।
- ii. यदि विद्यार्थी अस्वस्थ अनुभव कर रहे हों, तो उनके माता-पिता को अपने बच्चों को बाहर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
- iii. अभिभावकों को सलाह दी जा सकती है कि उनके बच्चों के मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किया गया हों।
- iv. माता-पिता को उन्हें स्वस्थ भोजन की आदतों और प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों के बारे में सचेत करना चाहिए।
- v. माता-पिता द्वारा उन्हें मानसिक शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए व्यायाम, योग, ध्यान और सांस लेने के व्यायाम करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।

11. विद्यार्थियों की भूमिका :


- i. सभी विद्यार्थियों को फेस कवर/मास्क पहनना चाहिए और सभी निवारक उपाय करना चाहिए।
- ii. विद्यार्थियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तन्दरुस्त रह कर वे दूसरों का भी ध्यान रख सकते हैं।
- iii. विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधियाँ विकसित करनी चाहिए जो प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिये व्यायाम, योग्य, ताजे फल और स्वस्थ भोजन (फास्ट फूड से बचना), समय से सोना शामिल हो।
- iv. विद्यार्थियों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए।

12. विद्यार्थी/प्राचार्य/प्राध्यापक/कर्मचारी/अन्य कर्मचारी द्वारा रोग के लक्षणों (बुखार, खासी, सांस लेने में कठिनाई) के मामले में एसओपी के पालन संबंधी कार्ययोजना

- i. बीमार/बीमारी के लक्षण वाले व्यक्ति को एक अलग कमरे या क्षेत्र में रखें, जहाँ वह दूसरों से अलग-थलग हो।
- ii. इस संबंध में विद्यार्थी के माता-पिता/अभिभावकों को तत्काल सूचित करें।
- iii. ऐसे रोगी मास्क/फेस कवर पहन कर अलग-थलग रहें।
- iv. निकटतम चिकित्सा सुविधा (अस्पताल/क्लिनिक) को तुरंत सूचित करें अथवा राज्य या जिला हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।
- v. नामित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (जिला आरआरटी/चिकित्सक) द्वारा रिस्क असेसमेन्ट (जोखिम मूल्यांकन) करने के उपरांत तदनुसार केस के आगामी प्रबंधन, उसके संपर्कों संबंधी आवश्यक प्रबंधन और कीटाणुशोधन (डिसइंफेक्शन) की आवश्यकता के संबंध में कार्यवाही प्रारंभ की जाए।

संलग्न :-


1. परिशिष्ट-एक "विद्यार्थी/अभिभावक का सहमति पत्र"।
2. परिशिष्ट-दो "निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप"।


 (वीरन सिंह मलावी)
 अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
 भोपाल, दिनांक 23/12/2020

पृ. क्रमांक: ११० / सी.सी. / 2020 / अडतीस
 प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल म.प्र.।
 2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
 3. निज सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
 4. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
 5. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 6. निज सहायक, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल।
 7. निज सहायक, कुलपति समस्त परम्परागत/निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
 8. कुल सचिव, समस्त परम्परागत/निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
 9. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
 10. प्राचार्य, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
 11. प्राचार्य, समस्त शास./अनुदान प्राप्त अशा./निजी अशा. महाविद्यालय म.प्र.।
 12. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


 अवर सचिव
 म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

स्वैच्छिक आधार पर शिक्षकों से मार्गदर्शन/प्रायोगिक कार्य हेतु

विद्यार्थी का घोषणा पत्र.

मैं पुत्र/पुत्री श्री शैक्षणिक सत्र 2020-21 के अंतर्गत स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष या स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय सेमेस्टर का/की नियमित विद्यार्थी हूँ।

मैं स्वैच्छिक आधार पर महाविद्यालय में प्रायोगिक कार्य/शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने/नियमित कक्षाओं में सम्मिलित होना चाहता/चाहती हूँ।

मुझे कोरोना (कोविड-19) से उत्पन्न स्थितियों एवं स्वास्थ्य पर होने वाले विपरीत प्रभावों की जानकारी है। मैं कोरोना (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी "मानक संचालन प्रक्रिया" का पालन सुनिश्चित करूंगा/करूंगी।

दिनांक :-

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

विद्यार्थी का नाम

कक्षा

महाविद्यालय का नाम

.....

मो.नं.

अभिभावक का सहमति/घोषणा पत्र

मेरा पुत्र/पुत्री कक्षा महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत है। मुझे कोरोना (कोविड-19) के प्रसार तथा उत्पन्न स्थितियों व बचाव के विभिन्न उपायों की जानकारी है।

मैं स्वेच्छा से अपने पुत्र/पुत्री को महाविद्यालयों में प्रायोगिक कार्य/शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने/नियमित कक्षाओं में शामिल होने की सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

दिनांक :-

अभिभावक के हस्ताक्षर

अभिभावक का नाम

मो.नं.

स्थानीय निवास का पता

.....

निरीक्षण प्रतिवेदन

- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम :
- स्थान/जिला :
- सेनेटाइजेशन की व्यवस्था : अच्छा/संतोषजनक/सामान्य
- थर्मल गन से परीक्षण की व्यवस्था : अच्छा/संतोषजनक/सामान्य
- कक्षाओं में बैठक व्यवस्था : अच्छा/संतोषजनक/सामान्य
- प्रयोगशालाओं की व्यवस्था : अच्छा/संतोषजनक/सामान्य
- मास्क आदि के उपयोग की स्थिति : अच्छा/संतोषजनक/सामान्य
- पुस्तकालय में पुस्तक प्रदाय की व्यवस्था : अच्छा/संतोषजनक/सामान्य
- एस.ओ.पी. के समस्त निर्देशों का पालन : पूर्ण/आंशिक
- घोषणा पत्र के माध्यम से स्नातक स्तर की कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति का प्रतिशत :
- घोषणा पत्र के माध्यम से स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति का प्रतिशत :
- संस्था में विविध स्थलों पर स्वच्छता की व्यवस्था :

समग्र आंकलन के साथ टीप
(आवश्यक हो तो पृथक से रिपोर्ट संलग्न करें)

निरीक्षण अधिकारी का नाम :

.....

.....

पद :

मो.नं. :

दिनांक :